

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site-www.muzaffarpur.biharurban.in, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ub@gmail.com Fax No.-0621-2214506

प्रक्रांक-.....115.....

दिनांक-.....23 / 11 / 2020

प्रेषक,

विवेक रंजन मैत्रेय भाओसो,

नगर आयुक्त,

मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

श्री / श्रीमती 216791-31-2-11-20

पिता / पति 216791-31-2-11-20

ग्राम + मुहल्ला 416434-8167, निवा-पैप में डुल, गौशाला, मुजफ्फरपुर

वार्ड सं०- 38 थाना मिहल्ला

मुजफ्फरपुर।

विषय :-

प्लान केश संख्या-..... 38-01/2020 भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, मुहल्ला- 416434-8167, निवा-पैप में डुल, गौशाला, मुजफ्फरपुर, वार्ड सं०- 38, खाता- 348, खेसरा- 601 बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्त पर स्वीकृति दी जाती है :-

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय-समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय-समय उप उसका जांच किया जा सके।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

**ASHOKA DEVELOPERS & SERVICES**

HO: NEAR H P GAS GODOWN, NEHRU NAGAR, Patna, Bihar, 800013

Email: ashokadns@gmail.com

<https://ashoka-developers-and-services.business.site/>**Declaration Of Fire Noc**

Ref: _____

I, **ASHOKA DEVELOPERS & SERVICES**. Address- **Near HP Gas**

Godown, Nehru Nagar, Patna -800013 through its Proprietor – Kumar Abhishek, do hereby solemnly declare, undertake and state as under :-

That, we adhere to the Rules of Real estate Regulation & development Act, 2016 made there under for the project completion for the Project- “ **BITIKA ENCLAVE**”. In respect to the Noc for Fire and Airport Authority, we wish to inform you that our project height is less than 15m, hence the above NOCs are not applicable for us.



ASHOKA DEVELOPERS & SERVICES

HO: NEAR H P GAS GODOWN, NEHRU NAGAR, Patna, Bihar, 800013

Email: ashokadns@gmail.com

<https://ashoka-developers-and-services.business.site/>

Ref: _____

Date: __/__/__

Declaration Of Previous Project.

I, Kumar Abhishek , Proprietor Of **ASHOKA DEVELOPERS & SERVICES**. Address- Near HP Gas Godown, Nehru Nagar, Patna - **800013** do hereby solemnly declare, undertake and state as under :-

We Have NO Other Project In Previous 5 Years.

“Bitika Enclave” is My 1st Project .